

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा)
6वीं मंजिल सतपुडा भवन भोपाल (मओपओ)

विज्ञापन क्रमांक/221/स्था/राज/भर्ती पदस्थापना/सचि/26 भोपाल, दिनांक 01/06/2026
सह प्राध्यापक पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01/06/2026 से दिनांक 22/6/2026 मायं
05:00 बजे तक विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> में भर्ती टेब में जाकर भरे जा सकेंगे।
अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर दें।
उपरोक्त हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे, अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र
विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अधीन विभिन्न शासकीय चिकित्सा
महाविद्यालयों (सतना, सिवनी, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली, श्योपुर, बुधनी, दमोह एवं छतरपुर) में सह
प्राध्यापकों के वर्तमान में रिक्त पदों पर नियुक्ति, साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. सह प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार
विवरण निम्नानुसार है :-

सह प्राध्यापक संवर्ग

वेतनमान- 131400-217100 (सातवें वेतनमान में लेवल 13ए)

क्रमांक	विषय	सह प्राध्यापक पदों की वर्गवार संख्या			कुल पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
1	शरीर रचना विज्ञान (Anatomy)	6	3	3	12
2	शरीर रोग विभाग (Physiology)	5	3	2	10
3	जीव रसायन विज्ञान (Biochemistry)	8	3	2	13
4	भेषज विज्ञान (Pharmacology)	6	3	3	12
5	रोग विज्ञान (Pathology)	9	5	4	18
6	सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology)	9	3	3	15
7	फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान (Forensic Medicine)	3	2	1	6
8	कम्युनिटी मेडिसिन (Community Medicine)	4	3	2	9
9	जनरल मेडिसिन (General Medicine)	23	7	5	35
10	बाल्य एवं शिशु रोग विभाग (Paediatrics)	11	2	3	16
11	त्वचा रोग विभाग (Dermatology)	5	2	1	8
12	मानसिक रोग विभाग (Psychiatry)	5	2	0	7
13	जनरल सर्जरी विभाग (General Surgery)	21	6	6	33
14	अस्थि रोग विभाग (Orthopedics)	11	3	2	16
15	कान, नाक, गला रोग विभाग (ENT)	5	2	1	8
16	नेत्ररोग विभाग (Ophthalmology)	5	2	1	8
17	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग (Obs&Gyne)	15	6	4	25
18	संघेतनाहर (एनेस्थिसिया) विभाग (Anesthesiology)	16	5	4	25
19	विकरण निदान विभाग (Radiodignosis)	6	2	1	9
कुल पद संख्या		173	64	48	285

नोट - विज्ञापित पदों की संख्या कम, अधिक एवं परिवर्तित की जा सकती है।

2. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है:-

(अ) अतिवार्य अर्हताएँ:- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025" में दी गई तालिका 'क' और 'ख' के अनुसार होंगी।

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
एसोसिएट प्रोफेसर	तालिका क और तालिका ख के अनुसार	<p>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर, या</p> <p>(ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और</p> <p>(ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किए हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए :</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमैडिकल सिर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो: और</p> <p>(iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम करना होगा, बशर्ते कि उनका ब्रॉड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता हो।</p> <p>नोट - 1: विमानन चिकित्सा और समुद्री चिकित्सा के संदर्भ में, विमानन के लिए फ्लाइटिंग स्ट्रिकाइड के रूप में दो वर्ष का अनुभव और समुद्री चिकित्सा के लिए डाइविंग और एस्केप प्रशिक्षण स्कूल में दो वर्ष का अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।</p> <p>नोट - 2: कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्रॉड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जाएगा।</p>

नोट:-

- ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का (डीएनबी) डिप्लोमा/डिप्लोमा, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज ए/डीएम और सुपर स्पेशियलिटी (एमएस/एमडी)मसीएचस्नातकोत्तर योग्यता के (समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।

2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), नई दिल्ली की संशोधित अधिसूचना (राजपत्र) दिनांक 02 जुलाई 2025 की सामान्य टिप्पणी क्रमांक 4 के अनुक्रम में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी विभागों में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के अधिकतम 30 प्रतिशत तक गैर-चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है।

उक्त प्रावधान के अंतर्गत, संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (रांकाम की योग्यता) विनियमों में निर्दिष्ट योग्यताएँ धारित करने वाले गैर-चिकित्सक शिक्षक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रत्येक विभाग में गैर-चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा (30 प्रतिशत) का निर्धारण करते समय, विभाग में पहले से कार्यरत गैर-चिकित्सक शिक्षकों की संख्या को घटाकर शेष उपलब्ध पदों की गणना की जाएगी।

3. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित सभी अर्जित अर्हताएँ अनिवार्य होंगी तथा NMC द्वारा समय-समय पर जारी पात्रता संबंधी सभी नियम एवं दिशानिर्देश यथावत् लागू होंगे।
4. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
5. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर)
6. उक्त अर्हताएँ विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।
7. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित सभी अर्जित अर्हताएँ अनिवार्य होंगी तथा NMC द्वारा समय-समय पर जारी पात्रता संबंधी सभी नियम एवं दिशानिर्देश यथावत् लागू होंगे।
8. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(ब) विशेष :-

1. यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।
2. विदेशी उपाधि धारक यदि उनकी अंकसूची में पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख नहीं है तो वह अपने पूर्णांक एवं प्राप्तांक के संबंध में शपथ-पत्र भी संलग्न करें।
3. चयन सूची में यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो जिस अभ्यर्थी ने आंतरिक (Internal) मेरिट प्रोरेटा में अधिक अंक प्राप्त किए हों, उसे उच्च वरीयता दी जायेगी। यदि आंतरिक मेरिट प्रोरेटा के अंक भी समान हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में उच्च वरीयता दी जायेगी।

4. यदि आवेदन पत्र के साथ अर्हता संबंधी दस्तावेज पूर्ण रूप से संलग्न नहीं किए गये हों, तो आवेदन पत्र अमान्य माना जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह स्वयं सुनिश्चित करें कि वे अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं शोध-पत्रों से संबंधी समस्त उपलब्ध दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना करें।
5. शैक्षणिक एवं अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा।
6. महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

(द) टीप:-

1. शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार दिवस तक की जा सकेगी। बढे हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
 2. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
 3. किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
 4. जो केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी से संबंधित हैं, वही उक्त अरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के रूप में मान्य हैं, इस भर्ती में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माने जायेंगे।
 5. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रत) सेवा भर्ती नियम, 2023 के अन्तर्गत की जायेगी। नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त, निर्देश एवं परिपत्र लागू रहेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति, पदस्थापना तथा स्थानान्तरण संबंधी समस्त अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित रहेंगे।
3. आयु सीमा-
- 3.1. विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकीय आयु 65 वर्ष पूर्ण करने में न्यूनतम 5 वर्ष शेष हों।
 - 3.2. आयु की गणना हेतु अभ्यर्थी की वही जन्मतिथि मान्य होगी, जे उनकी 10वीं की अंकसूची में अंतिक होगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकसूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का सही-सही उल्लेख करें।
 - 3.3. अर्धवार्षिकी आयु - 65 वर्ष ।
 - 3.4. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल सतपुडा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें।
1. आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश -
- 1.1. ऑनलाईन आवेदन शुल्क :- विभिन्न संवर्गों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार है -

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹. 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र)	₹. 2500/- (रुपये दो हजार पांच सौ रुपये मात्र)

5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र, ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड करें -
- 5.1. आयु संबंधी प्रमाण पत्र - केवल हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी अथवा मैट्रिकुलेशन की अंकसूची प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- 5.2. शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र:- हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियां रच-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 5.3. संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र:- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- 5.4. शोध पत्र:- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति। (स्पष्ट प्रतिलिपि संलग्न न होने की परिस्थिति में शोध पत्र अमान्य किया जावेगा। अतः स्पष्ट प्रतिलिपि अपलोड करें।)
- 5.5. अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
- 5.6. जाति के प्रमाण-पत्र:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। (डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र - शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारियों हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निर्हरतायें :-
- 7.1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-1961 (सेवा की सामान्य शर्त) के अन्तर्गत।
- 7.2. विकृत होने की स्थिति में।
- 7.3. दुश्चरित्र होने पर।
- 7.4. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।
- 7.5. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
8. कदाचरण संबंधी मामलों में किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के कारण पदच्युत किया गया हो अथवा जिसे नैतिक पतन या किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया हो। यदि चयन/नियुक्ति के पश्चात ऐसे तथ्य संज्ञान में आते हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी का नाम चयन सूची से तत्काल विलोपित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो चुका हो, तो उसे यथाशीघ्र निरस्त करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।
9. यात्रा व्यय का भुगतान:- साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भता देय नहीं होगा।

10. चयन प्रक्रिया:- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को पोस्टा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं अंतरिम पोस्टा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।
- 10.1 साक्षात्कार उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के नाम ही चयन एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र अथवा अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की पृथक सूची जारी नहीं की जाएगी। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
- 10.2 साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा) द्वारा पत्र के अनुसार विभाग की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।
- 10.3. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञापि में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. विज्ञापन के संबंध में आवश्यक निर्देश :-
- 11.1. विज्ञापन से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ एवं साक्षात्कार के परिणाम संचालनालय (चिकित्सा शिक्षा) मध्यप्रदेश की वेबसाइट medicaleducation.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपना सही एवं सक्रिय ई-मेल आई.डी. तथा मोबाईल नम्बर निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करें तथा अद्यतन जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
- 11.2. आवेदक विज्ञापन से संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी आदान-प्रदान हेतु विज्ञापन शाखा की ई-मेल आईडी — deanrecruitment.mp@gmail.com का उपयोग करें।
- 11.3. आवेदन पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी तथा विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगे।
12. अन्य आवश्यक निर्देश :-
- 12.1. समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अध्याधीन रहेंगी एवं उचित कारणवश किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर निरस्त किया जावेगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
- 12.2. किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
- 12.3. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 12.4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
- 12.5. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. उक्त विज्ञापन/नियुक्ति "मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-2023" के अन्तर्गत है।

Digitally signed by (धनराजू एस.)
DHANARAJU SANJEEVARAYAPPA
Date: 01-06-2026 05:57:25 आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश